


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 28 नवम्बर, 2018

संख्या-1/पी0-1005/2013 -सा0प्र0-15501/राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी-श्री अतुल सिन्हा, आई.टी.एस. (92), निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की दिनांक 22.10.2018 को समाप्त हुई राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग-दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक-21.10.2018 के प्रभाव से अगले तीन (03) माह के लिए अर्थात्, दिनांक-20.01.2019 तक विस्तारित की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1005/2013 -सा0प्र0-15501/पटना-15, दिनांक: 28 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह- प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001/सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001/श्री आर.के. टोण्डर, निदेशक(सेवाएँ), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, 419, संचार भवन, 20 अशोका रोड, नई दिल्ली-110 001 को उनके पत्रांक-391-38/2011-एस टी जी-111 दिनांक 20.11.2018 के प्रसंग में/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।